| तारीख हुक्म | हुक्म या कायवाही इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 21.10.19 | उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर0 टी0 ए0 का श्री चिरंजीलाल शर्मा तहसीलदार धौलपुर के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि उनवानी प्रकरण ठाकुरजी बनाम करतार बगैरा प्रकरण संख्या 7/16 का निस्तारण अतिरिक्त जिलाधीश धौलपुर के द्वारा दिनांक 18.06.2018 को इस निर्देश के साथ किया था कि प्रकरण में यदि रैफरेंस बनता है अथवा नहीं, इसकी जॉच कर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। किन्तु तहसीलदार श्री चिरंजीलाल शर्मा प्रकरण को एकपक्षीय कार्यवाही के आधार पर रेफरेंस करने का मूड बना चुके है। अतः उपरोक्त प्रकरण की जॉच तहसीलदार श्री चिरंजीलाल शर्मा से ना कराई जा कर जिले के किसी भी अन्य तहसीलदार से कराई जावे। साथ ही वकील प्रार्थी ने दिनांक 21.05.19 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार श्री चिरंजीलाल शर्मा के विरूद्ध प्रशासनिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही कराई जाने हेतु कथन किया।<br>पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य/ दस्तावेज तय समय में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रैफरेंस प्रकरण तैयार कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के यहॉ प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसमें प्रार्थीगण को कोई आपत्ति है तो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के यहॉ प्रस्तुत कर सकते हैं। तथा तहसीलदार श्री चिरंजीलाल शर्मा का भी स्थानान्तरण हो चुका हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।<br>बहस उभयपक्ष सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार धौलपुर द्वारा रैफरेंस प्रकरण तैयार कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के यहॉ प्रस्तुत किया जा चुका है। तथा तहसीलदार श्री चिरंजीलाल शर्मा का भी स्थानान्तरण हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br>(आर0 के0 जायसवाल)<br>जिला कलक्टर, धौलपुर | |